F.No.32/3/2017-Ad.I(A)/NCRB
Government of India
Ministry of Home Affairs
National Crime Records Bureau

NH 8, Service Lane, Mahipalpur,
New Delhi 110 037
Date : 25.10.2018

CIRCULAR

Subject: Engagement of Consultants in the National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs - Reg.

This Bureau invites applications for engagement of consultants from retired Government Servants on Contract Basis initially for a period of six months, which shall be extendable further or till the post is regularly filled whichever is earlier. The details regarding eligibility criteria, terms of references etc are as under:-

S. No	Name of posts	No. of Posts	Level in the Pay Matix	Pre-revised 6^{th} CPC Grade Pay	Eligibility
1.	Junior Staff Officer/System Analyst	1	10	5400	Should have retired as Junior Staff Officer or System Analyst or Senior Programmer from Central / State Govt.
2.	Deputy Superintendent (Finger Print) Group 'B' Gazetted	1	7	4600	Should have retired as Deputy Superintendent (Finger Print) or equivalent from Central / State Government . Retired Inspector (FP) with 8 years experience will also be considered.
3.	Inspector (Finger Print) Group 'B' Non-Gazetted	2	7	4600	Should have retired as Inspector (Finger Print) or equivalent from Central / State Government. Retired Sub-Inspector (FP) with 8 years experience will also be considered.
4.	Data Processing Assistant/ Programmer	4	7	4600	Should have retired as Data Processing Assistant or Programmer or Senior Programmer or Junior Programmer from Central / State Government.
5.	Data Processing Assistant Grade A	11	6	4200	Should have retired as Data Processing Assistant / Programmer or Data Processing Assistant Grade A or Programmer or Junior Programmer from Central / State Government.

6.	Senior Secretarial Assistant	1	4	2400	Should have retired as Upper Division Clerk/Senior Secretarial Assistant or Assistant Section Officer from Central/State Government
7.	Head Constable (Finger Print)	2	3	2000	Should have retired as Assistant Sub-Inspector (Finger Print)/Head Constable (Finger Print) from Central / State Government. Retired Constable (FP) with 5 years experience will also be considered.
8.	Multi Tasking Staff	1	1	1800	Should have retired as Multi Tasking Staff or Peon or Farash or Constable from Central / State Government.
	Grand Total	*23			

*The Number of posts may increase or decrease depending upon the availability of vacancies.

2 The Consultant would be paid a fixed monthly emoluments to be worked out based on the last pay drawn minus pension + DA as on the date of offer of appointment.

3. Suitable retired Government officers who are eligible and willing to accept the terms and conditions at **Annexure-I** may send application by fax/email/post with duly filled in Bio-data (**Annexure II**) along with a copy of the PPO/Pensioner card to the undersigned within 15 days from the date of this advertisement. Shortlisted candidates will require to attend interview at the Bureau's office which will be informed to him/her.

(Rajeshwar Lal)
Assistant Director (Admn)
Tele : 011 26735521
Email : rajeshwar.lal@nic.in
NH 8, Service Lane, Mahipalpur
New Delhi 110 037

Annexure I

General Terms and Conditions

i. The person must be able to work in MS Word, Power point and should be proficient in noting, drafting and examining the cases (except posts at Sl.No.7 & 8)

ii. The consultant will not be entitled for any kind of allowances and residential accommodation. They will also not be entitled to telephone facilities, transport facilities and staff car.

iii. The engagement of the Consultant will be purely on Contract basis.

iv. The engagement period for the consultant would be initially for a period of 6 months which may be extended or curtailed subject to review, at the sole discretion of this Bureau. The period of engagement of Consultant shall not exceed beyond the age of 65 years.

v. The Consultants shall be eligible for four days leave during the engagement period of six months. This leave will not be carried forward in case the engagement period is extended by this Bureau. Also, no payment in lieu of un-utilized leaves will be paid by this Bureau at the time of expiry of contract.

vi. The candidate will be required to sign a non-disclosure undertaking and declaration for abiding by the Code of integrity for Public Procurement(CIPP).

vii. The Bureau may terminate the services of Consultants in case he/she is unable to achieve the assigned works within the time-frame or the work assigned to him/her is not satisfactory to the Department or he/she is found to be lacking in honesty and integrity.

viii. The Bureau shall also reserve the right to terminate the services of Consultants at any time without giving any notice and also without assigning any reason. The engagement of consultant will not confer any right on the part of individual for permanent appointment to the post.

ix. The Consultant may be called to the Office on Saturdays, Sundays and other Gazetted Holidays or may be asked to sit late in the office after office hours, in case of exigencies of work. No extra allowances will be permissible for the same.

x. The Consultants shall continue to draw pension and dearness relief on pension, if any, during the period of their engagement as Consultant. Their engagement as Consultant shall not be considered as a case of re-employment.

xi. No TA/DA shall be admissible to the consultant for attending the interview or for taking up the appointment. Consultant will not be allowed any foreign travel at Government expenses.

xii. The contractual appointment will be attached with NCRB Hqs located in New Delhi or its office in Kolkata.

xiii. The Consultant shall draw a fixed monthly emoluments to be worked out based on the basis of his last pay drawn minus Pension + DA as on the date of offer of appointment.

xiv. If any declaration given or information furnished by the candidate proves to be false or if the candidate is found to have willfully suppressed any material information, he will be liable for removal from engagement service and such other action as Government may deem necessary.

*****

Annexure-II

Application for engagement as Consultant in National Crime Records Bureau

Affix your passport size photograph

Post Applied For:

1. Name :
2. Father's Name :
3. Date of Birth :
4. Address :
5. Mobile No. :
6. Email ID :
7. Date of Retirement :
8. Name of Ministry/Dept. from which retired :
9. Last Pay Drawn (copy of PPO should be enclosed)
10. Educational Qualifications :
11. Details of Experience :

Sl.No	Designation & Ministry Department	From	To	Nature of work performed

The information furnished above is true. I have carefully read the terms and conditions mentioned in Annexure-II and they are acceptable to me. I certify that no disciplinary proceedings are pending against me as on date.

Date:

(Signature of Applicant)

फाइल सं. 32/3/2017-प्रशा.1(ए)/ रा.अ.रि. ब्यूरो
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

एन. एच-8, सर्विस लेन,
महिपालपुर, नई दिल्ली.
दिनांक 25.10.2018

परिपत्र

विषय : - राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय में परामर्शदाताओं की नियुक्ति के संदर्भ में।

इस ब्यूरो द्वारा संविदा के आधार पर परामर्श दाताओं की नियुक्ति हेतु, आरंभ में छः महीने की अवधि के लिए, जो कि आगे बढ़ाई जा सकती है अथवा पद के नियमित रुप से भरे जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पात्रता के मानदंड, संदर्भ शर्तो आदि का विवरण निम्नवत हैः-

क्रं सं.	पदों का नाम	पदों की संख्या	पे मैट्रिक में लेवल	पूर्व संशोधित छठा सीपीसी ग्रेड पे	पात्रता
1.	कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी / सिस्टम एनालिस्ट	1	10	5400	केन्द्र / राज्य सरकार से कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी अथवा सिस्टम एनालिस्ट अथवा प्रोग्रामर के पद से सेवानिवृत्त होना चाहिए.
2.	उपाधीक्षक (अंगुलि छाप) समूह बी राजपत्रित	1	7	4600	केन्द्र / राज्य सरकार से उपाधीक्षक (अंगुलि छाप) अथवा समकक्ष के पद से सेवानिवृत्त होना चाहिए। सेवा निवृत्त निरीक्षक (अंगुलि छाप), जिनका 8 वर्षो का अनुभव हो, भी विचारणीय होंगे।
3.	निरीक्षक (अंगुलि छाप) समूह बी अराजपत्रित	2	7	4600	निरीक्षक (अंगुलि छाप) अथवा समकक्ष के रुप में केन्द्र / राज्य सरकार से सेवा निवृत्त होने चाहिए। सेवानिवृत्त उप निरीक्षक (अंगुलि छाप), जिनका अनुभव 8 वर्षो का हो भी विचारणीय होंगे।
4.	आंकडा प्रबधन सहायक / प्रोग्रामर	4	7	4600	केन्द्र / राज्य सरकार से, आंकडा प्रबंधन सहायक अथवा प्रोग्रामर अथवा वरिष्ठ प्रोग्रामर अथवा कनिष्ठ प्रोग्रामर के रुप में सेवानिवृत्त होने चाहिए।
5.	आंकडा प्रबधन सहायक ग्रेड ए	11	6	4200	केन्द्र / राज्य सरकार से आंकडा प्रबंधन सहायक / प्रोग्रामर अथवा आंकडा प्रबंधन सहायक, ग्रेड ए अथवा प्रोग्रामर अथवा कनिष्ठ प्रोग्रामर के रुप में सेवानिवृत्त होने चाहिए।
6.	वरिष्ठ सचिवालीय सहायक	1	4	2400	केन्द्र / राज्य सरकार से अवर श्रेणी लिपिक / वरिष्ठ सचिवीय सहायक अथवा सहायक अनुभाग अधिकारी के रुप में सेवानिवृत्त होने चाहिए।

7.	मुख्य आरक्षक (अंगुली छाप)	2	3	2000	केन्द्र / राज्य सरकार से सहायक उप निरीक्षक (अंगुली छाप) / मुख्य आरक्षक (अंगुलि छाप) के रुप में सेवानिवृत्त होने चाहिए। सेवानिवृत्त आरक्षक (अंगुलि छाप) जिनका अनुभव 5 वर्षों का है भी विचारणीय होंगे ।
8.	एम टी एस	1	1	1800	केन्द्र / राज्य सरकार से मल्टी टास्किंग स्टाफ अथवा चपरासी अथवा आरक्षक के पद से सेवानिवृत्त होना चाहिए।
	कुल योग	*23			

* पदों की संख्या रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है ।

2. परामर्शदाता को निश्चित मासिक परिलब्धियां, उसके अन्तिम वेतन माइनस पेंशन + मंहगाई भत्तों के आधार पर निर्धारित की जायेंगी।

3. उपयुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिक, जो पात्र है तथा जो अनुलग्नक -1 में दी गई निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करते हैं, इस विज्ञापन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर भरे हुए बायो डाटा (अनुलग्नक-II) के साथ पी.पी.ओ./ पेंशनभोगी कार्ड की एक प्रति लगाकर फैक्स / ई-मेल/ डाक द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें । चुने हुए अभ्यर्थी को ब्यूरो में साक्षात्कार के लिए आना होगा जिसकी सूचना उन्हें दे दी जायेगी ।

राजेश

(राजेश्वर लाल)
सहायक निदेशक (प्रशा.)
टेली : 011- 26735521
ई-मेल rajeshwar.lal.@nic.in
एन. एच-8, सर्विस लेन,
महिपालपुर, नई दिल्ली- 110037.

अनुबन्ध - I

सामान्य अनुबन्ध एवं शर्ते

i) आवेदक को एम एस वर्ड, पावर पाईंट पर कार्य करने में समक्ष होना चाहिए तथा नोटिंग, ड्राफ्टिंग और मामलों की जांच (क्रं सं. 7 एवं 8 के पदों को छोड़कर) करने के कार्य में सक्षम होना चाहिए।

ii) परामर्शदाता किसी भी प्रकार के भत्ते एवं आवास का हकदार नही होगा। उनको टेलीफोन सुविधा, परिवहन भत्ता और स्टाफ की सुविधा भी नही दी जाएगी।

iii) परामर्शदाता की नियुक्ति पूर्ण रुप से अनुबंध आधार पर होगी।

iv) परामर्शदाता की नियुक्ति अवधि प्रारम्भ में 6 माह की अवधि की होगी जिसे ब्यूरों के विवेकाधिकार से के उनके कार्य की संवीक्षा के उपरान्त / बढाया या घटाया जा सकता है। परामर्शदाता की नियुक्ति की अवधि को 65 वर्ष की अवधि के पश्चात् नही बढाया जाएगा।

v) परामर्शदाता छः माह की अवधि पूरी करने पर चार दिन के अवकाश का पात्र होगा। इस चार दिन के अवकाश की अवधि को इस ब्यूरों द्वारा नियुक्ति अवधि को बढाए जाने के मामले में, इस अवधि को शमिल नही किया जाएगा। साथ ही, इस ब्यूरों द्वारा न लिए गए अवकाश की एवज में अनुबंध के समाप्त होने के समय पर कोई भुगतान नही किया जाएगा।

vi) आवेदक को एक गैर-प्रकटीकरण वचन पत्र और जन अधिप्राप्ति के अखंडता कोड (CIPP) को अपनाने की घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा।

vii) ब्यूरों परामर्शदाताओं की सेवाओं को उन मामलों में जहां वह समय-सीमा के अन्दर दिए गए कार्य को पूरा करने में असमर्थ रहता है और विभाग द्वारा उनको सौपे गए कार्य के असंतोषजनक पाए जाने पर और उसकी ईमानदारी और अखंडता में कमी पाए जाने की स्थिति में उनकी सेवाओं को निरस्त कर सकता है।

viii) ब्यूरों परामर्शदाताओं की सेवाओं को बिना कोई नोटिस दिए किसी भी समय पर और बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार रखता है। परामर्शदाता की नियुक्ति परामर्शदाता को उस पद पर स्थायी नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देगी।

ix) परामर्शदाता को कार्य की तात्कालिका के मामले में कार्यालय में शनिवार, रविवार और अन्य राजपत्रित अवकाश या कार्यालय में छुट्टी के पश्चात् कार्यालय में देर तक कार्य करने को कहा जा सकता है। इसकेलिए कोई अतिरिक्त भत्ता नही देय होगा।

x) परामर्शदाता अपनी नियुक्ति परामर्शदाता के रुप में हो जाने पर उस अवधि के दौरान पेशन और पेंशन पर महंगाई राहत, यदि कोई हो, को प्राप्त करता रहेगा। परामर्शदाता के रुप में उनकी नियुक्ति को पुनः रोजगार के रुप में नहीं लिया जाएगा।

xi) परामर्शदाता को साक्षात्कार में शामिल होने एवं नियुक्ति हो जाने पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।

xii) संवीदात्मक नियुक्ति को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के मुख्यालय या इसके कोलकाता स्थित कार्यालय में दी जाएगी।

xiii) परामर्शदाता को नियत मासिक राशि, जो नियुक्ति दिए जाने के समय पर उनके अन्तिम वेतन में से पेंशन + मंहगाई भत्ते के आधार पर आधारित करने निकाली जाएगी, दी जाएगी।

xiv) यदि आवेदक द्वारा दी गई किसी घोषणा या जानकारी को असत्य पाया जाता है या यदि कोई आवेदक किसी महत्वपूर्ण जानकारी को जान-बूझकर छुपाता है,तो उसे परामर्शदाता की सेवा से हटा दिया जाएगा और सरकार जो उचित समझे उसके विरुद्व कार्रवाई की जाएगी।

*****

अनुबन्ध - II

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो में परामर्शदाता के रुप में नियुक्ति के लिए आवेदन

पासपोर्ट साइज की फोटो यहां लगाये

पद जिसके लिए आवेदन किया है

1. नाम
2. पिता का नाम
3. जन्म तिथि
4. पता
5. मोबाइल नं.
6. ई-मेल आई डी
7. सेवानिवृत्ति की तिथि
8. मंत्रालय/विभाग जहां से सेवानिवृत्त हुए हैं का नाम
9. लिया गया अन्तिम वेतन (पीपीओ की प्रति संलग्न की जाय)
10. शैक्षणिक योग्यता
11. अनुभव का ब्यौरा

क्रं सं.	पदनाम एवं मंत्रालय विभाग	कब से	कब तक	किये गये कार्य की प्रकृति

ऊपर दी गई जानकारी सत्य है। मैने अनुलग्नक-II में विनिदिष्ट निबंधन और शर्तों को ठीक से पढ लिया है और वे मुझे स्वीकार्य हैं। मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि आज की तिथि में मेरे विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नही है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)